





दयाचरि रघुवीर प्रसाद बनाम रमेश

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज</p>
<p>11.5.23</p>	<p>हुक्म अ.नं. - 493/17</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक <u>29-5-23</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"></p>
<p>29/5/23</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक <u>08/6/23</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"></p>
<p>08.06.23</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान अनुपस्थित। प्रकरण कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकूलाय उभय पक्षकारान में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकूलाय उभय पक्षकारान की अनुपस्थिति में दावा बाबत बंटवारा एवं रथाई निषेधाज्ञा को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौरन शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हों।</p> <p style="text-align: right;">  (दिलीप सिंह) 08/06/23 सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाघोपूर  </p>